राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–227132

संख्या–ई.स. 2746 /जी.एस.
दिनांक: 12/01/2007

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक:१३७०–७१/सम्बद्धता/२००६ दिनांक १५–०७–२००६ एवं पत्रांक:२१७४–७५/सम्बद्धता/२००६ दिनांक ०६–१२–२००६ के संदर्भ में तथा इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या: ई०स०–१८७०/जी०एस० दिनांक ०६–१०–२००६ के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ की धारा–३७(२) के अधीन महाराणा प्रताप महाविद्यालय,जंगल धूषण, पादरी बाजार, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०काम० पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१–०७–२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:–

१– महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१/सत्तर–२–२००३–१६ (६२)/२००२, दिनांक ३ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२– यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता का सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत् महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक,उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– अध्यक्ष/प्राचार्य, महाराणा प्रताप महाविद्यालय,जंगल धूषण, पादरी बाजार, गोरखपुर।

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव